न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बी0एल0 कोठारी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 166/2018

अपीलान्टस बनाम **रेस्पोडेन्टस**

1. अभिलव अग्रवाल पुत्र स्व. श्री सुशील अग्रवाल
2. श्रीमति मंजू अग्रवाल पत्नि स्व0 श्री सुशील अग्रवाल
   जातियान् अग्रवाल, निवासी– बी–1, शास्त्रीनगर, पी.एन.टी. चौराहा, जोधपुर।

1. श्रीमति शांति पुत्री श्री रामपाल पत्नी श्री रामबक्ष के कायम मुकामः––
   1. कान्ता पुत्री
   2. धनराज पुत्र
   3. कचंन पुत्री
   4. कमला पुत्री
   5. रूपचन्द पुत्र

   सभी जाति हरिजन निवासी– वार्ड नम्बर 26, लालगढ गली नम्बर 14 बीकानेर
2. श्रीमति लीला पुत्री श्री रामपाल पत्नी श्री पुखराज, जाति हरिजन, निवासी– हरिजनों का बास, ग्राम जसनगर, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर
3. जीवादास पुत्र श्री रामपाल, जाति हरिजन, निवासी– चौपासनी फिल्टर हाउस के पास, जोधपुर
4. श्यामलाल पुत्र श्री रामपाल, जाति हरिजन, निवासी– चौपासनी स्कुल, गिरधर नगर, जोधपुर
5. स्व. श्रीमति पुरी पत्नी श्री रामपाल के कायम मुकाम–
   1. श्रीमति लक्ष्मी पुत्री स्व. श्रीमति पुरी, निवासी– सेवासदन स्कुल के सामने, रामबाग, कागा कॉलोनी, हरिजन बस्ती, जोधपुर
   2. श्रीमति रमेश पुत्री स्व. श्रीमति पुरी उम्र 37 वर्ष, निवासी 350, मुस्लिम यतीम खाना, मदेरणा कॉलोनी जोधपुर।
   3. श्री ओम पुत्री स्व. श्रीमति पुरी
   4. श्री प्रकाश पुत्र स्व. श्रीमति पुरी

5. श्री सन्तोष पुत्र स्व. श्रीमति पुरी 5/3 से 5/4 सभी निवासीगण– 33, पृथ्वीपुरा, रसाला रोड, जोधपुर हाल निवासी सेवा सदन स्कूल के सामने, रामबाग, कागा कॉलोनी, हरिजन बस्ती, जोधपुर।
6. खेमाराम पुत्र श्री चेतनराम माता मैना,
7. सोहनी पुत्री श्री चेतनराम माता मैना,
8. गज्जू पुत्र श्री चेतनराम माता मैना,
9. मुन्नी पुत्री चेतनराम माता मैना,
   क्रम संख्या 6 से 9 सभी जातियान हरिजन सभी निवासीग्राम ग्राम मोकला तहसील मेडता सिटी जिला नागौर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
दिनांक 31.03.2016 जो अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय), जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 17/2016 शांतीदास वगैराह बनाम जीवादास वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थितिः––

1. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मूल सिंह गहलोत, अधिवक्ता, रेस्पो.सं 1/1, 2, 5 एवं रेस्पो0 संख्या व 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री गुलाबसिंह चम्पावत,अधिवक्ता, रेस्पो. सं 1/2 की ओर से उपस्थित।
4. श्री आर.के. शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की ओर से उपस्थित।
5. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से।
6. शेष रेस्पोडेन्टस 1/3,4, व रेस्पो0 संख्या 5,6,7,8,9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक .08.2019

1. अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 17/2016 शांती वगैराह बनाम जीवादास वगैरा में दिनांक 31.03.2016 में पारित किये गये अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

द्वितीय अपील के संलग्न अपीलान्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 05 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि रेस्पो0 संख्या 1 से लगायत 9 तक के पिता श्री रामपाल के खाते की खसरासंख्या 75 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी जो कि उनके मृत्यु उपरान्त नामा0 संख्या 170 द्वारा केवल रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि अन्य रेस्पोडेन्टस उनकी पुत्रियां व वारिसान होने के नाते उनका भी इसमें हक था। अतः रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन आदेश से नामा0 संख्या 170 को निरस्त कर बाद जॉच विधि के प्रावधानों के अनुसार पुनः नामा0 की कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को प्रदान किये।

3. अपीलान्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 170 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की थी जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपील में वादग्रस्त भूमि के खातेदार स्व. श्री रामपाल जी ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमि को दिनांक 09.9.1974 को ही मोहम्मद खां को बेचने का इकरारनामा सम्पादित किया। खातेदार रामपाल जी के मृत्यु के बाद उक्त इकरारनामें के अनुसार उनके पुत्रगण ने 18 लोगो के हक में सामलाती रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 26.02.1992 को निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया था। उसके पश्चात् इन खरीददारों ने अपने द्वारा खरीद की गयी भूमि को भूखण्डों में विभक्त कर आपस में बांट लिया था जिसके तहत मेरे वाले भूखण्ड भूमि के क्रेता यानि सेसाराम व गोपाराम मेघवाल के हक में 75/15 की भूमि में से भूखण्ड संख्या 14 व 15 आया था जिसने दिनांक 16.02.2004 को अपने उक्त कब्जासुदा कृषि/भूखण्ड सं. 14 को टीना पुत्री मांगीलाल एंव पानीदेवी पत्नी मांगीलाल को बेचान रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिये बेचान कर दिया।

4. टीना पुत्री मांगीलाल ने अपने उक्त भूखण्ड सं. 14 का कृषि से अकृषि भू रूपान्तरण करवाकर आवासीय पट्टा दिनांक 29.04.2008 को प्राप्त कर लिया तत्पश्चात उक्त भूखण्ड को टीना के द्वारा श्रीमति लीलादेवी माछर पत्नी श्री गोपालदास माछर को जरिये रजि. बेचाननामा के बेचान कर दिया। लीलादेवी माछर के द्वारा आवासीय पट्टासुदा प्लॉट सं. 14 को दिनांक 13.05.2011 को श्री हुकमचन्द डागा व इन्द्रचन्द डागा पुत्र वल्लभचन्द्र डागा को बेचान कर दिया उसके बाद दिनांक 31.05.2015 को भूखण्ड को वर्तमान अपीलान्टस को पंजीकृत बेचाननामा के जरिये बेचान कर मौके पर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया है। तब से आज दिन तक उक्त आवासीय प्लॉट सं. 14 पर अपीलांट काबिज है। ऐसे में वे अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2016 से पूर्ण रूप से व्यथित है क्योंकि उनका नाम बिना किसी पूर्व सूचना के हटाये जाने का आदेश दिया गया है। अतः अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें।

5. हमने अपीलान्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया। चूंकि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 (प्रथम अपील में अपीलान्टस) के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय केवल रेस्पो0 संख्या 3 ता 10 को ही पक्षकार रेस्पोडेन्टस बनाया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रकट है जिसमें अपीलान्टस का जो कि खसरा संख्या 75/15 के भूखण्ड संख्या 14 के पंजीकृत बेचान दस्तावेज के अनुसार क्रेतागण है, जिन्हे प्रथम अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपीलाधीन आदेश से उसके हित प्रभावित हो रहे है। अतः अपीलान्टस के द्वारा प्रकट किये गये कथनों पर तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर अविश्वास करने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

6. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिभाषकों की बहस सुनी।

7. प्रस्तुत द्वितीय अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने से पूर्व अपील के साथ अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना उचित होगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सुना गया।

8. अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील के साथ परीसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.3.2016 की जानकारी अन्दर म्याद में नहीं होने के सम्बन्ध में कथन किया कि उसे प्रारम्भ से इसकी जानकारी नहीं थी क्यों कि उन्हें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया था। जुलाई, 2017 में कुछ राजस्व कर्मचारी एवं कुछ रेस्पोडेन्टगण खसरा संख्या 75 का नाप चौक करने आये, तब उनसे पूछताछ की तब उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.3.2016 की जानकारी हुई। उनके द्वारा निर्णय की प्रति लेने हेतु दिनांक 26.7.2017 को आवेदन किया और दिनांक 26.7.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के यह द्वितीय न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 1.8.2017 को अन्दर म्याद प्रस्तुत कर दी गई थी अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावे।

9. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र तथा धारा 05 परिसीमा अधिनियम अपील को अन्दर शुमार किये जाने का विरोध करते हुए कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर के द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 7.4.1990 में तत्समय जो–जो पक्षकार अंकित थे उन्हें ही प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय आवश्यक पक्षकार संस्थित किया गया था तथा उनसे ही वादग्रस्त भूमि में अपना हक–हिस्सा प्राप्त करने की कार्यवाही सम्पपादित की गई है। उस समय अपीलान्टस का कोई हक–हिस्सा वादग्रस्त भूमि में नहीं बनता था जिसके कारण उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत विलम्ब अवधि को कन्डोन किये जाने को खारिज किया जावें।

10. हम अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से सहमत है कि अपीलान्ट प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं थे। ऐसी दशा में उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी ज्योहि हुई आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर अपील की है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है एवं अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

11. अपील के गुणावगुण पर दोनों पक्षों के द्वारा बहस की गई। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 75 में रकबा 18 बीघा 13 बीस्वा भूमि में से एक आवासीय भूखण्ड सं. 14 को दिनांक 29.04.2008 के द्वारा पंजिकृत बेचान कार्यवाही के माध्यम से टीना पुत्री मांगीलाल से खरीद किया गया है एवं उक्त भूखण्ड पर अपीलान्टस वर्तमान समय में काबिज है। जिसको अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की सूचना दिये बिना और सुनवाई किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। अगर श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर जोधपुर प्रथम अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड तलब कर उसका अवलोकन करने के उपरान्त यथोचित आदेश पारित करते तो इस प्रकार का अपीलाधीन आदेश पारित नहीं हो सकता था। ऐसे में वे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान अपर जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2016 से पूर्ण रूप से व्यथित है क्योंकि उनके कब्जाशुदा व खरीदशुदा भूमि को पुनः मूल खातेदारान के यानि मृतक रामलाल के वारिसान (रेस्पोडेन्टस) के पक्ष में किये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

12. अपीलान्ट के अभिभाषक ने दौरान बहस यह भी कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने रेस्पो0 संख्या 3 व 4 से मिलावट करते हुए अपील में अपीलाधीन नामा0 संख्या 170 को सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश से निरस्त करवा दिया। जबकि रेस्पो0 संख्या 3 व 4 प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के दिन वादग्रस्त भूमि का बेचान कर

दिये जाने के कारण खातेदार ही नहीं थे। अतः अपीलाधीन आदेश अपाप्त व निरस्त करने योग्य है।

13. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक के द्वारा यह कथन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त खसरान भूमि का तहसीलदार जोधपुर के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 7.4.1990 को स्वीकृत किया गया और उस स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण में दर्ज खातेदारान को ही प्रथम अपील में आवश्यक पक्षकार बनाया गया था।

14. उक्त नामा0 संख्या 170 में अपीलान्टस का न तो नाम दर्ज था और न ही अपीलान्टस उल्लेखित खसरान भूमि पर काबिज थे। हम रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 2 (प्रथम अपील में संस्थित अपीलान्टगण) के द्वारा अन्य रेस्पोडेन्टस संख्या 3 व 4 जो मृतक खातेदार रामलाल के पुत्र एवं हमारे सगे भाई थे, से ही वादग्रस्त भूमि में अपना हक–हिस्सा प्राप्त करने हेतु नामान्तरकरण संख्या 170 को चुनौती दी गई थी। क्योंकि हिन्दू उत्त्राधिकार अधिनियम के तहत वे भी मृतक खातेदार रामपाल की प्रथम श्रेणी की वारिसान थी जिन्हें भी उक्त खसरान भूमि में बराबर–बराबर का हक–हिस्सा मिलना चाहिये था तथा हमारा नाम अपने भाईयों के साथ–साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था जो नहीं किये जाने पर हमारे द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी जिसे श्रीमान अपर जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा रेस्पोडेन्टस की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण को तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया गया है तथा उन्हें निर्देश दिये गये कि वे स्व0 रामपाल की प्रथम श्रेणी के वारिसान की जॉच विस्तृत रूप से करे तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पूर्णतया युक्तियुक्त ढंग से न्यायोचित आदेश पारित करें।' अतः अपीलाधीन प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश वो विधि अनुकूल उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावे तथा अपीलान्टस की अपील को खारिज किया जावें।

15. रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक के द्वारा यह भी कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.3.2016 की पालना में तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 12.4.2016 को प्रकरण दर्ज कर मूल नामा0 संख्या 170 को

निरस्त करने का नोट अंकित कर दिया तथा पत्रावली पर साक्ष्य सबूत लेकर पक्षकारान की सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 02.08.17 को यह आदेश दिया कि ख0सं0 75 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्व0 रामपाल के नाम दर्ज है। स्व0 रामपाल के के दो लडकों क्रमशः जीवदास व श्यामलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, उनकी बहनों का नाम नामा0 में दर्ज नहीं था वो नामा0 संख्या 170 निरस्त किया जाता है चूंकि जीवदास व श्यामलाल के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान पूर्व में कर दिया है, प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में यह आदेश दिया जाता है कि पक्षकार श्यामलाल व जीवदास के हिस्से को छोडकर शेष भूमि रामपाल के वारिसान श्रीमती शांती फौत के का0मु0 कान्ता, धनराज, कंचन, कमला, रूपचंद, स्व0 पुरी के का0मु0 रमेश, लिछमा, ओम, सन्तोष, प्रकाश, श्रीमती लीला व श्रीमती मैना फौत के का0मु0 खेमाराम, सीता, गजरा, कान्ता व रामेश्वरी के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावें।

16. तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2017 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1395 भी दिनांक 1.9.2017 को स्वीकृत किया जा चुका है और उक्त नामा0 1395 के अनुसार जमाबन्दी में भी स्व0 रामपाल के वारिसान की उक्तानुसार खातेदारी दिनांक 12.9.2017 को दर्ज हो गई है। ऐसे में अब यह द्वितीय अपील प्रभावहीन एवं सारहीन हो गई है। अपीलान्टस अब तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पारित आदेश 2.8.2017 को तथा नामा0 संख्या 1395 दिनांक 1.9.2017 को नये सिरे से सक्षम स्तर पर अपील प्रस्तुत कर चुनौती दे सकते है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावें।

17. हमने दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। विद्वान अति0 जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की प्रथम अपील को दिनांक 31.3.2016 को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 170 दिनांक 7.4.1990 ग्राम चौपासनी जागीर को

निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया।

18. इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह हैकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यदि प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय की वर्तमान राजस्व रेकर्ड/जमाबन्दी में अंकित वादग्रस्त भूमि के सभी रेकर्डेड खातेदारान को पक्षकार संस्थित कर लिया जाता तो राजस्व रेकर्ड अनुसार न्यायोचित निर्णय हो पाता। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय का भी यह दायित्व बनता था कि वे अपील प्रस्तुती के समय यह देखते कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में चालू राजस्व रेकर्ड में भूमि रेस्पोडेन्टस के खाते में ही है जिनसे अनुतोष चाहा है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं था। वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 व 4 पूर्व में ही वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 75 का बेचान कर चुके थे एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुती के समय वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हित निहित नही था। ऐसी दशा में उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की हैसियत से दी गई सहमति कोई महत्व नहीं रखती है। प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय के वास्तविक हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाना प्रथम अपीलीय न्यायालय में पक्षकारों की दुर्भिसंधि प्रकट करती है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय विधि अनुसार त्रुटिपूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर पारित किया जाना प्रकट होता है।

19. हम रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अभिभाषक के इस कथन से सहमत नहीं है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.3.2016 की पालना में न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 2.8.2017 को आदेश कर दिये जाने एवं उसके क्रम में नामा0 संख्या 1395 दिनांक 1.9.2017 को स्वीकृत कर दिये जाने से यह द्वितीय अपील प्रभावहीन हो गई है। यह सही है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलान्टस के हित प्रभावित हो रहे है एवं अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय में उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्टस द्वारा अपीलाधीन आदेश को चुनौती दिया जाना उचित है। द्वितीय अपील को केवल इसलिये अप्रभावी नहीं कही जा सकती है कि अपीलाधीन

आदेश की पालना में प्रतिप्रेषित अधिनस्थ न्यायालय (तहसीलदार जोधपुर) द्वारा नया आदेश प्रदान कर दिया गया है।

20. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिमाणस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2016 एवं उसकी पालना में की गई सभी उत्तरवृति कार्यवाहियों यथा न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2017 तथा उसकी पालना में स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 1395 दिनांक 1.9.2017 एवं जमाबन्दी में किये गये अंकन को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रथम अपील में संस्थित अपीलान्टस (जो कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2) के द्वारा वर्तमान अपीलान्टस तथा प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय की चालू जमाबन्दी में अंकित वादग्रस्त भूमि के सभी हितबद्ध खातेदारान को रेस्पोडेन्टस के रूप में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर